मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2014 (24 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 20 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 एवं 25) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 112 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 89 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 17 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य द्वारा प्रश्नकाल में 25 प्रश्न पूरे होने पर अध्यक्ष महोदय को बधाई दी गई.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार --

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की रतलाम जिले में रसायन से पके फल बेचे जाने,

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली क्षेत्र में शुरू की गई नल जल योजना पूर्ण न होने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के गोरस एवं जाखदा की शालाओं में शिक्षकों का भुगतान न होने,

(4) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की रीवा जिले के श्याम शाह मेडिकल कालेज में शिशु रोग विभाग की पूरी सीट्स न भरी जाने,

(5) श्री सूर्यप्रकाश मीणा, सदस्य की विदिशा जिले में जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर्स न बदले जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिले के जीरन में महाविद्यालय खोले जाने,

(7) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में सड़कों के अपग्रेडेशन से पानी का भराव होने,

(8) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले में चिकित्सालय में अव्यवस्थाएं होने,

(9) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र में शिक्षकों की कमी होने तथा

(10) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की दमोह जिले का ग्राम किशनगढ़ धाम विद्युत-विहीन होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013) पटल पर रखा.

(2) कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वित्तीय वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन के बाहर एक पुस्तक "व्यापम का सच" का वितरण होने की बात कहते हुए, व्यापम प्रकरण की सी.बी.आई. से जांच की मांग की गई. इस दौरान, इण्डियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के अधिकांश सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि उनकी बात आ गई है और इस मांग पर स्थगन प्रस्ताव तथा बजट के माध्यम से भी चर्चा कर ली गई है, अत: अपने-अपने स्थानों पर जाकर सदन की कार्यवाही चलने दें. अत्यधिक व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 11.37 बजे कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.49 बजे पुन: समवेत की गई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

4. विशेषाधिकार भंग की सूचना एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री एवं डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - "मुझे दिनांक 14 जुलाई, 2014 को डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीगण मध्यप्रदेश शासन से श्री सत्यदेव कटारे, माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :–

"दिनांक 7 जुलाई 2014 को सदन में मुख्यमंत्री महोदय की मांगों पर चर्चा चल रही थी, श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष महोदय द्वारा चर्चा में भाग लेते हुए, अपने भाषण के दौरान, असत्य कथन करते हुए सदन को गुमराह किया गया. श्री कटारे ने कहा -

"लोक सेवा आयोग रेसीडेंसी इन्दौर के विज्ञापन क्रमांक – 1, 16 मई 2006 यह 2008 की परीक्षा के लिए विज्ञापन है। इसके पृष्ठ 8 पर बिन्दु क्र. 4 के पैराग्राफ नम्बर चार में अंतिम पंक्तियों में यह उल्लेख है कि कोई भी अभ्यर्थी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, अर्थात जिन प्रमाण पत्रों में आय सम्बंधी कंडिका कटी होगी या भरी नहीं होगी वह मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं विवाह उपरान्त नाम उपनाम का शपथ पत्र संलग्न करें। ये पी.एस.सी के विज्ञापन की कंडीशन है और अध्यक्ष महोदय हमने यह पटल पर रखने की अनुमति मांगी है ये कु. रितु चौहान का आय प्रमाण पत्र है।"

उन्होंने उक्त कथन सदन में एक समाचार पत्र पढ़ते हुए बार बार कहा कि -

"हम सरकारी दस्तावेज दे रहे हैं। सारे दस्तावेज आर.टी.आई. से निकलवाये हैं। कैसे विलोपित कर देंगे?"

उक्त कथन उन्होंने तब किया, जब कुछ सदस्यों ने इन पूर्व में किये गये एवं पढ़े गये कथनों को विलोपित करने की मांग की । श्री कटारे ने आगे कहा -

"अध्यक्ष महोदय, वह मध्यप्रदेश की सेवा में हैं और सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की भांजी है। यह उसका आय प्रमाण पत्र है, जो काटा गया है। ये तो आवेदन ही निरस्त हो जाना चाहिए. ये लड़की यदि मुख्यमंत्री की भांजी नहीं होती तो इसका आवेदन निरस्त हो जाता, क्योंकि इसने आय प्रमाण पत्र में काट–छांट की है और यह दस्तावेज मैंने पटल पर रख दिये हैं । इसकी अनुमति आपसे मांगी है यदि अनुमति मिल जायेगी तो सदन के पटल पर आ जायेगी।"

श्री कटारे ने सदन में पूर्णतः असत्य कथन किया है। वे यह जानते थे कि वे सदन में जो कथन कर रहे हैं वह पूर्ण रुप से असत्य है किन्तु जानबूझकर, सोच समझकर उन्होंने सदन में असत्य कथन किया है और सदन को गुमराह किया है। उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी पर असत्य आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की साजिश थी, वे ऐसा करके अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते थे । प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने यह साजिश की तथा जानबूझकर सोच समझकर और जानते हुए कि वे जो आरोप लगा रहे हैं, असत्य है, सदन को गुमराह किया।

श्री कटारे ने जिस दस्तावेज के आधार पर जिसे पढ़कर आरोप लगाये हैं वे 2011 की परीक्षा के लिये है तथा वह राज्य सेवा परीक्षा का फार्म नहीं है। यह फार्म पर अंकित है। इसके *बिन्दु क्र. 3* पर आवेदन की अंतिम तिथि 20.06.2011 अंकित है। जबकि कु. रितु चौहान जो माननीय मुख्यमंत्री की भांजी है उसने 2008 में राज्य सेवा परीक्षा का फार्म भरा है। जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसमें 16 मई 2006 कहीं भी नहीं लिखा तथा न ही 2008 की परीक्षा कहीं लिखा। श्री कटारे ने अपने कथन में कहा है -

"पृष्ठ–8 पर बिन्दु क्र. 4, महोदय, राज्य सेवा परीक्षा 2008 का फार्म मात्र छः पृष्ठों का है। आठ पृष्ठों का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सेवा परीक्षा के क्रमांक 19 प्रवेश पत्र के 11वें बिन्दु पर जाति प्रमाण पत्र मांगा है इसमें कहीं भी आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है।"

अतः श्री कटारे ने पटल पर रखे दस्तावेज को पढ़ते समय इसकी आड़ लेकर पूर्णतः असत्य कथन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के षडयंत्र रच कर की है। उक्त तथ्यों एवं तर्को के आधार पर श्री कटारे द्वारा कु.रितु चौहान पर प्रमाण पत्र में काट–छांट करने का आरोप असत्य एवं भ्रामक है तथा योजना पूर्वक सदन को गुमराह करने की नीयत से कहा गया। कौल एवं शकधर के नये एडिशन के पृष्ठ नं. 366 के पैरा 2 में स्पष्ट उल्लेख है :-

''सभा के विशेषाधिकार का हनन अथवा उसकी अवमानना के मामले में यह साबित करना पड़ता है कि वक्तव्य न सिर्फ गलत अथवा भ्रामक था बल्कि यह सभा को गुमराह करने के लिये जानबूझकर दिया गया है। विशेषाधिकार हनन तब होता है जबकि कोई मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझकर,सोच समझकर और यह जानते हुए देता है कि यह गलत या असत्य है।''

श्री सत्यदेव कटारे ने सभा के पटल पर मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा मिथ्या दस्तावेज पढ़े। श्री कटारे ने सदन के पटल पर जो दस्तावेज प्रस्तुत किया उसे राज्य सेवा परीक्षा के नाम से रखा और रितु चौहान ने इस प्रकार के फार्म में काट–छांट की, ऐसा आरोप लगाया. इस फार्म को उन्होंने 2006,16 मई का बताया तथा 2008 की परीक्षा हेतु बताया । अंतिम तिथि 20.6.2011, महोदय मई 2006 के प्रकाशन की अंतिम तिथि 2011 नहीं हो सकती।

अतः यह सिद्ध होता है कि श्री कटारे ने किसी अन्य परीक्षा के फार्म को राज्य सेवा परीक्षा का फार्म बताया और नकली दस्तावेज बनाकर सदन में प्रस्तुत किया। यहां सिद्ध हो गया कि उन्होंने मिथ्या, नकली तथा जाली दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

''संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया'' (श्री महेश्वनाथ कौल एवं श्री श्यामलाल शकधर) के नए संस्करण के पृष्ठ 321 एवं 322 पर स्पष्ट उल्लेख है कि

''संसद की किसी भी सभा अथवा उसकी समिति को धोखा देने की दृष्टि से उसे मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना सभा के विशेषाधिकार का हनन है। ''

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है, ने सदन में असत्य कथन किया तथा यह कथन उन्होंने जान-बूझकर और यह जानते हुए कि यह असत्य है फिर भी असत्य कथन किया। उन्होंने सदन में सदन को धोखा देने की नीयत से मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज पढ़े, प्रस्तुत किए एवं सदन के पटल पर रखे तथा सदन को धोखा दिया ।

उक्त दोनों कृत्य सदन के विशेषाधिकार भंग की श्रेणी में आते हैं। अतः श्री कटारे ने दिनांक 7 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री की मांगों पर भाषण करते समय जो कथन और कृत्य किया उससे सदन का विशेषाधिकार भंग हुआ."

तत्पश्चात्, विशेषाधिकार भंग की सूचना पर निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये गए तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर व्यवस्थाएं दी गई :-

1. **श्री मुकेश नायक, सदस्य** द्वारा आसंदी के माध्यम से यह जानना चाहा कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव किस नियम के तहत आ रहा है ? इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि यह विशेषाधिकार *मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम* के पृष्ठ 76 में अध्याय-21, विशेषाधिकार (क) विशेषाधिकार के प्रश्न के अंतर्गत आया है. ये नियम इस प्रकार हैं :-

नियम 164 - "इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकेगा."

नियम 165- "जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, प्रमुख सचिव/ सचिव को देगा. यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा. "

नियम 168- "यदि नियम 167 के अधीन अनुमति दे दी जाय, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी. सभा-नेता या किसी अन्य सदस्य के द्वारा, जिसे वह इस नियम के अधीन अपना कृत्य प्रत्यायुक्त करे, किये गये प्रस्ताव पर वह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जायेगा. "

अभी विशेषाधिकार का प्रश्न की कल प्राप्त हुई सूचना पर विचार सुनेजाएंगे. इस पर निर्णय नहीं हुआ है, यह निर्णय सभा आसंदी की ओर से बाद में व्यवस्था आएगी.

2. डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा दर्शिका, प्रथम संस्करण, *(श्री काशीप्रसाद पाण्डे, पूर्व अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा)* द्वारा लिखित पुस्तक से निम्नलिखित उद्धरण दिया गया कि -

"जब मंत्री या सदस्य जानबूझकर और इच्छापूर्वक असत्य अथवा गलत वक्तव्य देता है, तभी विशेषाधिकार भंग होता है. " (पृष्ठ 48)

"सदन या उसकी किसी समिति को धोखा देने के इरादे से, सदन या उसकी समिति के समक्ष जाली, झूठी, बनाई गई या गढी हुई दस्तावेजों का पेशकरना या करवाना अथवा सदन या उसकी समितियों में पेश किये जाने वाले दस्तावेजों, अन्य व्यक्तियों के नाम से या वैकल्पिक, काल्पनिक नाम से पेश करना या ऐसी जालसाजी या धोखेबाजी में सहभागी होना या उसका ज्ञान रखना सदन का विशेषाधिकार भंग तथा सदन की अवमानना है." (पृष्ठ 35)

इसी संदर्भ में उन्होंने *संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया (कौल एवं शकधर) नवीन संस्करण* से निम्नलिखित उद्धरण भी प्रस्तुत किया कि –

"सभा के विशेषाधिकार का हनन अथवा उसकी अवमानना के मामले में यह साबित करना पड़ता है कि वक्तव्य न सिर्फ गलत अथवा भ्रामक था, बल्कि यह सभा को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिया गया था. विशेषाधिकार हनन तभी होता है जब कि कोई मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझकर, सोच-समझकर और यह जानते हुए देता है कि वह गलत या असत्य है." (पृष्ठ 336)

"संसद की किसी भी सभा अथवा उसकी किसी समिति को धोखा देने की दृष्टि से उसे मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना सभा के विशेषाधिकार का हनन और उसकी अवमानना है. अध्यक्ष मावलंकर ने सिन्हा मामले में सभा के समक्ष मिथ्या अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से रोकने की अनिवार्यता पर बल देते हुए यह बात कही थी." (पृष्ठ 321)

3. श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा *मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम* 166 पर विचार करने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न उठाया. इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमावली से यह उद्धरण पढ़कर सुनाया गया :--

नियम 166- "विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा :-

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक निर्बन्धित रहेगा.

(3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित हो."

नियम 167- "(1) यदि अध्यक्ष, नियम 164 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा, जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा."

तत्पश्चात् माननीय सदस्य द्वारा नियम 166(1) का निम्नलिखित उद्धरण पढ़कर सुनाया गया :-

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे.

इस पर श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा माननीय सदस्य को जानकारी दी गई कि बैठक से तात्पर्य एक कार्य दिवस से है तथा श्री श्रीनिवास तिवारी, पूर्व अध्यक्ष महोदय के समय में भी एक ही सत्र में दो-तीन बार विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं दी गई थी. अध्यक्ष महोदय द्वारा भी माननीय सदस्य को सूचित किया गया कि एक बैठक में एक ही विषय उठाया गया है तथा इस सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था देते समय माननीय सदस्य की बात को और स्पष्ट किया जायेगा.

4. **डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री** द्वारा विशेषाधिकार भंग की सूचना को ग्राह्य करने तथा प्रकरण को जांच हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंपने के संबंध में निम्नानुसार विचार व्यक्त किये गए –

"हम सब इस सदन की गरिमा के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि हमें इसी सदन से ताकत मिलती है. नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत सम्मान का पद है. कोई भी सम्मानित सदस्य, चाहे वह किसी भी पक्ष के हों, यदि समाचार पत्र में स्थान पाने के लिए असत्य जानकारी के आधार पर, सदन को गुमराह करे तो इससे सदन की मर्यादा खण्डित होने से हमें पीड़ा होती है. अत: इस सदन की गरिमा का हम सबको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और हम सबको इसका संवर्द्धन करना है. सभी सम्मानित सदस्यगण सदन में प्रदेश के जनहित से जुड़े हुए मुद्दे कभी भी उठाकर उन पर चर्चा कर सकते है और हम सदैव चर्चा करने के लिए तैयार हैं. यह विशेषाधिकार की सूचना किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं लाई है. दबाव तो इसको कहते है कि गत दिनों विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सहमति व्यक्त कर चर्चा हेतु इसे आसंदी द्वारा लिया गया था किन्तु विपक्ष के सदस्यगण मुख्यमंत्री का जबाव सुनने के लिए तैयार नहीं थे. आज विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है क्योंकि लोकतंत्र के लिए संवाद एक सशक्त माध्यम होता है."

5. **श्री रामनिवास रावत, सदस्य** द्वारा संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार (कौल एवं शकधर) के नए संस्करण से निम्नलिखित उद्धरणों को प्रस्तुत किया गया कि --

विशेषाधिकारों की संहिताबद्ध करने का प्रश्न : "संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में दी गई हैं. इस अनुच्छेद में संसद में वाक् स्वातंत्र्य का विशेषाधिकार और सदस्यों को संसद या उसकी किसी समिति में "उनके द्वारा कही गयी किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय की कार्यवाही" से उन्मुक्ति का उपबन्ध विशिष्ट रूप से किया गया है." (पृष्ठ 243)

"संसद के मुख्य विशेषाधिकार : "संसद, उसके सदस्यों तथा समितियों के कुछ विशेषाधिकारों को संविधान, कुछ कानूनों तथा सभा के प्रक्रिया नियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है लेकिन बाकी विशेषाधिकार ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्वोदाहरणों पर और इस देश में विकसित परिपाटियों पर आधारित हैं." इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार ये है --

(1) संविधान में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकार संसद में वाक् स्वातंत्र्य.

संसद में या उसकी किसी समिति में संसद सदस्य द्वारा कही गयी किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसे किसी भी न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति.

किसी भी व्यक्ति को संसद् के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति." (पृष्ठ 256)

वाक् स्वातंत्र्य का विशेषाधिकार तथा न्यायालयों में कार्यवाही से उन्मुक्ति :

"संविधान के उपबंध– संसद के सदस्यों का वाक् स्वातंत्र्य का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के खण्ड (1) और (2) में दिया गया है, और इन खंडों में कहा गया है --

(1) इस संविधान को उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक् स्वतंत्र्य होगा.

(2) संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात अथवा दिये गये किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरूद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी. (पृष्ठ 258)
"सदन में कार्यवाही पदावली में प्रश्न का पूछना और उस प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक अथवा किसी अन्य मामले की लिखित सूचना देना शामिल है." (पृष्ठ 266)

सभा अथवा उसकी समितियों को मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना– "इसमें संसद के किसी सभा या उसकी किसी समिति में धोखा देने की दृष्टि से उसे मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना, सभा के विशेषाधिकार का हनन और उसकी अवमानना है." (पृष्ठ 321)

"सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमानना का अभिप्राय यह होगा कि सभा की कार्यवाही को जानबूझकर एवं गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है. यदि कोई सदस्य या मंत्री सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार में असत्य, अपूर्ण या गलत है तो वह विशेषाधिकार हनन नहीं है. यदि कोई गलत वक्तव्य दिया जाता है तो उस मामले के निपटारा करने के दूसरे उपाय हैं. (पृष्ठ 336)

6. **डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य** द्वारा मत व्यक्त किया कि यह संविधान में है कि विशेषाधिकार हनन तब होता है जब विधान सभा की कार्यवाही में बाधा हो, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं हुई है. यह मध्यप्रदेश विधान सभा में पहला उदाहरण है जब इस विषय पर पटल पर दस्तावेज रखने या वक्तव्य देने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठा है जबकि कई बार तो मंत्रीगण भी उत्तर देते समय गलत दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं.

7. **श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष** द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2008 हेतु रोजगार और निर्माण में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक (3)/परीक्षा/2008/11.8.2008, भोपाल दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2008 (पृष्ठ 29) तथा विज्ञापन क्रमांक 5/परीक्षा/2009/2112/2009, भोपाल 4 से 10 जनवरी, 2010 (पृष्ठ 7, 35) का उद्धरण देते हुए विशेषाधिकार भंग की प्रस्तुत सूचना के विरोध में अपने विचार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् सदन को सूचित किया गया कि इस संबंध में व्यवस्था देते समय उनकी सब बातों का उत्तर दिया जाएगा.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री के मध्य व्यक्तिगत आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण गर्भगृह में आये. अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त टिप्पणियों को विलोपित करने तथा सदस्यों को वापस अपने स्थानों पर वापस जाने संबंधी निर्देश दिये गये.)

अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यों के विचार सुनने के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गई कि –

" मैंने विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचना पर दोनों पक्षों के विचार सुने. दोनों पक्षों ने अपने अपने प्रमाण दस्तावेजों के जरिये, अपने वक्तव्यों के माध्यम से दिये. दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति, श्री महेश्वरनाथ कौल एवं श्री श्यामलाल शकधर का उल्लेख किया है. मैं उनकी एक दो पंक्तियों की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. "सभा के विशेषाधिकार का हनन" अथवा पहले जो नये संस्करण के पृष्ठ 321 का उद्धरण प्रस्तुतकर्ता सदस्य ने दिया था, उसका शीर्षक है –

"सभा अथवा उसकी समितियों को मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना", यह विषय विशेषाधिकार में आता है.

श्री रामनिवास रावत और डॉ. गोविन्द सिंह माननीय वरिष्ठ सदस्यगण ने विशेषकर यह बात रखी थी कि बहुत से दस्तावेज आते हैं. कौल एवं शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 336 के अनुसार –

"सभा के विशेषाधिकार का हनन अथवा उसकी अवमानना के मामले में यह साबित करना पड़ता है कि वक्तव्य न सिर्फ गलत अथवा भ्रामक था, बल्कि यह सभा को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिया गया था."

जिन माननीय सदस्यों ने यह विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव लाया उन्होंने अपनी सूचना में यह लिखा है कि जानबूझकर दिया गया. प्रामाणिकता की बात बाद में करूंगा, इसलिए इस पर विचार करना आवश्यक था.

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने नियम 166 (1) का हवाला दिया है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि -

"एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे."

वह शायद बैठक का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाए, या प्रश्न का नहीं समझ पाए. एक ही प्रश्न उठाया गया और इसी बैठक में उठाया गया. बैठक का अर्थ भी इसमें आगे दिया गया है.

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अध्याय 4, सभा की बैठकें, के नियम 12 (पृष्ठ 8) में यह स्पष्ट है कि –

"जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करें, सभा की बैठकें साधारणत: 10.30 बजे प्रारंभ होगी और साधारणत: 17.00 बजे समाप्त हो जावेगी."

यानी सायंकाल 5 बजे समाप्त हो जावेगी. यह बैठक एक है और एक बैठक में एक ही प्रश्न लिया जायेगा, यह नियम 166 का इंटरप्रिटीशन है.

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप नियम प्रक्रियाओं का हवाला दीजिये, कौल एवं शकधर का नहीं. मैंने बार-बार यह कहा है कि यह सदन नियमों और परम्पराओं, दोनों से चलता है. श्री रामनिवास रावत, वरिष्ठ सदस्य ने इस बात को स्पष्ट किया है, जब उन्होंने विशेषाधिकारों के संहिताकरण (कोडिफाई) नहीं होने संबंधी उद्धरण दिया था. यह विषय सदन की समितियों और अध्यक्षीय सम्मेलनों में भी आया है कि प्रिवीलेजेस कोडिफाई नहीं किये जा सके हैं, इन्फीनाइटली वैरीयस हैं जैसे – "टॉर्ट्स आर इन्फीनाइटली वैरीयस", ऐसे ही – "प्रिवीलेजेस आर इन्फीनाइटली वैरीयस" हैं. ये अनन्त हैं. इनकी व्याख्याएं प्रश्न के हिसाब से ही कर सकेंगे, किसी नियम में बंधकर नहीं. आज की स्थिति यही है. जब कोडिफाई होगा, तब होगा. कौल एवं शकधर की पुस्तक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अनेक अवसरों पर कोट किया गया है. और इसीलिए इसकी प्रामाणिकता इस संबंध में परम्परानुसार मानी जाती है, नियमानुसार नहीं और परम्पराओं को मानने के बिना संचालन बड़ा कठिन होता है.

श्री रामनिवास रावत द्वारा अभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला दिया गया. उसकी मूल भावना को शायद उन्होंने समझा नहीं. उसकी मूल भावना यह है कि जो कुछ सदस्यगण यहां कहते हैं वह न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसका अर्थ यह नहीं है कि यहां आप कुछ भी कहें और उसकी कोई जांच-पड़ताल ही न हो. कौल एवं शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 256-257 में भी लिखा है कि –

"संसद के मुख्य विशेषाधिकार", जो संविधान से लिये हैं.

संविधान में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अंतर्गत वाक् स्वातंत्र्य" उसमें पहले ही है.

पृष्ठ 257 के अंतिम पैरा में लिखा है कि –

"उपरोक्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक सदन को कुछ पारिणामिक शक्तियां प्राप्त हैं."

पारिणामिक, तत्काल, उस वक्त जो आ रहा है उसको देखते हुए. विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की यही शक्तियां फिर धीरे-धीरे अपने इवोल्युशन के समय में नियम बनती हैं. उसमें लिखा है कि –

"सदन को कुछ पारिणामिक शक्तियां प्राप्त हैं जो उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं. ये शक्तियां निम्नलिखित हैं....",

उसमें अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की विनियमन की यह शक्ति है और इस पर चर्चा की जा सकती है, चर्चा कराई जा सकती है.

संविधान के अनुच्छेद 105 का आशय यह है कि यहां, सदन के बाहर इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा. पर, सभा अपने सम्मान की खुद रक्षा नहीं करेगी, तो सभाएं अपनी प्रतिष्ठा खो देंगी. यहां जो बात कही जाए और यहां जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं, वे अविवादित रूप से सत्य होने ही चाहिए, क्योंकि उनको कहीं चेलेन्ज नहीं किया जा सकता और उनका निर्णय यह सभा ही कर सकती है. यह भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में बार बार आया है. आगे यह भी है कि इसमें सभा को अनन्त अधिकार प्राप्त हैं, इनको कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता है.

इन सब चर्चाओं और प्रारंभिक आपत्तियों को सुनने के बाद, तथ्यों के प्रकाश में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि, चूंकि इसमें दस्तावेज भी इन्वाल्व हैं इसलिए इस प्रकरण को गहराई से जांच, अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय. अत: मैं डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र की सूचना को जांच, अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं".

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अध्यक्षीय व्यवस्था से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

5. सर्वश्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा बाला बच्चन, सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना पर अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि --

"दिनांक 10 जुलाई, 2014 को डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री, मंत्रीगण एवं सदस्यगण सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, शैलेन्द्र जैन और शंकरलाल तिवारी की ओर से सर्वश्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा बाला बच्चन, सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं. दिनांक 10 जुलाई, 2014 को मैंने डॉ. नरोत्तम मिश्र से प्राप्त सूचना को सदन में पढ़ा था एवं उस पर माननीय सदस्यों के विचार सुने थे और इस पर अपनी व्यवस्था बाद में देने का उल्लेख किया था. तद्नुसार मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं –

"यह सदन नियम-प्रक्रियाओं और परम्पराओं से चलता है और उनके पालन की अपेक्षा सभी माननीय सदस्यों से की जाती है. यह भी आशा की जाती है कि इन्हीं के अनुरूप सदन में कार्य एवं सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार होगा. इनके उल्लघंन अथवा अवहेलना से न केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है, बल्कि संसदीय मर्यादाएं और शिष्टाचार भी आहत होते हैं. इसके साथ ही, इनके उल्लंघन से जहां सदन की अवमानना होती है वहीं विशेषाधिकारों का भी हनन होता है.

माननीय सदस्यों से प्राप्त सूचनाओं और दिनांक 10 जुलाई, 2014 को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार भंग का मामला अन्तग्रर्स्त है. अत: मैं इस प्रकरण को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं.

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री सचिन यादव, सदस्यगण ने डिण्डोरी जिले की तरच निवासी आदिवासी छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री जितू पटवारी, रामनिवास रावत, बहादुर सिंह चौहान, दिलीप सिंह शेखावत, राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, विश्वास सारंग तथा सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्यगण तथा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने जिला धार के लेबड़-मानपुर रोड़ पर टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने भी इस संबंध में जानकारी दी.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को निर्देश दिया गया कि माननीय विधायकों की मान सम्मान की चिन्ता कर उन्हें पूर्ण सुरक्षा दें ताकि इस प्रकार की घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति न हो.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर, गर्भगृह में आकर, नारेबाजी की गई तथा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(2) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(3) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(4) श्री नथन शाह कवरेती (जिला-छिंदवाड़ा)
(5) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(6) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(7) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(8) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(9) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)

8. शासकीय वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने –

(क) नवगठित जिला आगर-मालवा में लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) का उपसंभाग कार्यालय स्थापित करने तथा

(ख) एशियन विकास बैंक की सहायता से मध्यप्रदेश में मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना, संबंधी वक्तव्य दिये.

9. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

11. सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 14	पशुपालन के लिए छ: सौ अठानवे करोड़, नौ लाख, बासठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 16	मछली पालन के लिए उनहत्तर करोड़, पचपन लाख, पैसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी के लिए एक हजार एक सौ इक्यावन करोड़, छप्पन लाख, पैतालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक हजार दो सौ उनचास करोड़, उन्नीस लाख, तैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चार सौ चौदह करोड़, तिरपन लाख, छब्बीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 56	ग्रामोद्योग के लिए एक सौ अठानवे करोड़, अठासी लाख, इक्यानवें हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(3) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(4) श्री विश्वास सारंग
(5) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(6) श्री शैलेन्द्र पटेल
(7) श्रीमती ललिता यादव
(8) कुंवर विक्रम सिंह
(9) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(10) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)
(11) श्री के.के. श्रीवास्तव
(12) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'
(13) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(14) श्री प्रताप सिंह
(15) श्री शंकरलाल तिवारी
(16) श्री गोवर्धन उपाध्याय
(17) इंजी. प्रदीप लारिया

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

(18) श्री रूस्तम सिंह
(19) श्रीमती उमादेवी खटीक
(20) श्री बहादुर सिंह चौहान

(21) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(22) श्री मधु भगत
(23) श्री कमलेश्वर पटेल
(24) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(25) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(26) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपरान्ह 7.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2014 (आषाढ़ 25, 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 15 जुलाई, 2014